न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना-पत्र संख्या :-2/2024 दायर दिनांक- 14.05.2024
GCMS NO:- 2024/71 पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती प्रीति मीणा

मुश्ताक अहमद आ0 यासीन जाति मुसलमान लीलगर नि0 देई तहसील नैनवॉ वगै0 (कुल 13)
प्रार्थीगण

बनाम

भूस्वामी जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, नैनवॉ जिला बून्दी।
अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः- अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः-
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामबाबू शर्मा।

निर्णय दिनांक 17.06.2025

-:निर्णयः-

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम देई मे खाता संख्या 1101 की भूमि खसरा संख्या 2730, 2731, 2735, 2736, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2789 कुल किता 14 कुल रकबा 4.3606 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसके खातेदार मंजूर अहमद तथा सलीम मोहम्मद की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान प्रार्थीगण संख्या 5, 6 व 12, 13 है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे की भूमि के आस पास के पडौसी दिनांक 4.3.2024 को प्रार्थीगण के खेतों की मेरों को तोडने व खेतों की सीमाओं को लेकर प्रार्थीगण से विवाद करने लग गए।

यह कि प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित अपने खातेदारी व कब्जे की भूमि की नियमानुसार पैमाईश कर पत्थरगढी करवाये ताकि सीमाओं के विवाद का निपटारा हो सके। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी की प्रति पेश कर धारा 111, 128 एंलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

हमने पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थना पत्र को चलते लगभग 01 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है जबकि यह एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम देई मे खाता संख्या 1101 की भूमि खसरा संख्या 2730, 2731, 2735, 2736, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2789 कुल किता 14 कुल रकबा 4.3606 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थीगण का यदि संपूर्ण हिस्से पर कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू-अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर 1000/- रूपये अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा